

कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बालोतरा

—: कार्यालय आदेश :—

क्रमांक : 346

दिनांक : 16.11.2018

इस कार्यालय के आदेश संख्या 151 दिनांक 24.05.2018 को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के पत्र क्रमांक Gen/XIX/Misc/2002/609 दिनांक 18.05.2018 में दिये गए निर्देशों की पालना में इस न्यायक्षेत्र में कार्यरत महिला कर्मचारीगण तथा राजकीय कार्य से कार्यालय में उपस्थित होने वाली अन्य महिला कर्मचारीगण के यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायत के निवारण हेतु निम्नानुसार शिकायत निवारण समिति का पुर्नगठन किया जाता है :-

- 1- सुश्री वमीता सिंह, विशिष्ट न्यायाधीश, अनु.जाति/जनजाति (अ.नि.प्र.), - अध्यक्ष
बाड़मेर।
- 2- श्री राजकुमार चौहान, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाड़मेर - सदस्य
- 3- डॉ. सिम्पल शर्मा, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाड़मेर - सदस्य

इस समिति को यह निर्देश दिये जाते हैं कि उन्हें महिला कर्मचारी की शिकायत प्राप्त होने पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के उपर्युक्त वर्णित परिपत्र में दिये गये निर्देशानुसार शिकायत का सर्वोच्च प्राथमिकता से निवारण कर अपनी रिपोर्ट इस कार्यालय को प्रेषित करें।

—सही—


जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
बालोतरा

क्रमांक : 9178

दिनांक : 16/11/18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. न्यायाधीश, मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण, बाड़मेर।
2. न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, बालोतरा।
3. विशिष्ट न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, बालोतरा
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बालोतरा।
5. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या-01/02, बाड़मेर।
6. विशिष्ट न्यायाधीश अनुसूचित जाति/जन जाति (अ.नि.प्र.), बाड़मेर।
7. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाड़मेर।
8. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाड़मेर/बालोतरा/गुड़ामालानी।
9. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बाड़मेर/बालोतरा/सिवाना/चौहटन/पचपदरा/गुड़ामालानी।
10. अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या-01/02, बाड़मेर।
11. न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, बाड़मेर।
12. सिस्टम ऑफिसर, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर यह निर्देश दिए जाते हैं कि इस आदेश को इस न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड कर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें।
13. इस न्यायालय के सूचना पट्ट पर चरपा करने हेतु।
14. रक्षित पत्रावली।


जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
बालोतरा